



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940

No. 442]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

सा. का. नि. 602(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के भारत के राजपत्र, असाधारण - भाग II - खंड 3 -उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 411(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,-

उक्त अधिसूचना के खंड 2 के अंत में "1 जुलाई, 2018" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों एवं अंकों "1 सितम्बर, 2018" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. X.11014/3/2018-डीआर]

सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 411(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**New Delhi, the 29th June, 2018

G.S.R. 602 (E).—In exercise of the powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) No. G.S.R. 411(E) dated 27th April, 2018 published in Part II - Section 3 - Sub-section(i) of the Gazette of India, Extraordinary, namely,-

In the said notification in Para 2, at the end, for the words and figures “the first day of July, 2018” the following words and figures “the first day of September, 2018” shall be substituted.

[F. No. X.11014/3/2018-DR]

SUDHIR KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 411(E), dated the 27th April, 2018.